**14.06 hrs.**

## MATTERS UNDER RULE 377

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Item No. 14 − Matter Under Rule 377

Shri Sachin Pilot -- Not present.

Shri Furkan Ansari -- Not present.

Title: Need to give the due share of electricity produced by Bhakhra Beas Management Board to Himachal Pradesh.

**श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) :** महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और ऊर्जा मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहती हूं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में विद्युत की अबाध आपूर्ति हेतु केंद्र सरकार के धन से कई परियोजनाओं का निर्माण हिमाचल की भूमि पर किया गया, जिनमें हिमाचल के जल से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली चहुंमुखी विकास के पथ पर अग्रसर हैं जबकि हिमाचल के लोगों की भूमि, घर, रोजगार के साधन परियोजनाओं के निर्माण के कारण पानी में डूब गए और वे अभी तक विस्थापितों का जीवन जी रहे हैं इसलिए मेरी मांग है कि 1996 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार हि.प्र. में पंजाब का जो क्षेत्र शामिल हुआ, उसके अनुसार भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के अधीन जलविद्युत परियोजनाओं में 7.19 प्रतिशत हिस्सा पूर्वव्यापी (रिट्रौस्पैक्टिव) प्रभाव से दिया जाए एवं हि.प्र. में पूर्व में निर्मित जलविद्युत परियोजनाओं में 25 प्रतिशत मुफ्त विद्युत को पूर्वव्यापी प्रभाव से, जब से उनमें विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुआ है तब से दिया जाए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: If the House agrees then, the rest of the matters under Rule 377 may be treated as laid on the Table of the House.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.